

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-20/2017.....86...../जे0, पटना, दिनांक 16/03/18...

सेवा में,

निदेशक,

बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट, पटना।

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0001-बिहार न्यायिक अकादमी के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से व्यय हेतु मोटरगाड़ी-कार्यालय (5101) विषयशीर्ष में निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी के लिए रु0 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रूपये की अधिसीमा में एक वाहन तथा अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के लिए 9,00,000/- (नौ लाख) रूपये की अधिसीमा में चार वाहन, इसप्रकार कुल पाँच वाहनों के क्रय हेतु कुल 47,00,000/- (सैतालीस लाख) रूपये की आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण, उपशीर्ष-0001-बिहार न्यायिक अकादमी के अंतर्गत मोटरगाड़ी-कार्यालय (5101) विषयशीर्ष में वित्तीय वर्ष 2017-18 में होगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561वि0(2), दिनांक 17.04.1998 में दिये गये निर्देश के आलोक में दिया जाता है।
- वित्त विभाग के ज्ञाप सं0-307/जे0, दिनांक 15.03.2018 द्वारा तृतीय अनुपूरक के माध्यम से स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत राशि को नियमानुसार व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- बिहार न्यायिक अकादमी से प्राप्त प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति, वित्त विभाग के संसूचित ज्ञापंक-1867 दिनांक 13.03.2018 द्वारा निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी के लिए 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रूपये की अधिसीमा में एक वाहन तथा अन्य न्यायिक पदाधिकारियों/Faculties/Resource Person के लिए 9,00,000/- (नौ लाख) रूपये की अधिसीमा में चार वाहन, कुल 05 (पाँच) वाहन की क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- कृपया उक्त आवंटित राशि का व्यय विवरणी शीघ्र भेजा जाय। लेखा सत्यापन ससमय कराया जाय। अतिरिक्त आवंटन की मांग करते समय व्यय का विवरण भेजा जाना आवश्यक है अन्यथा आपकी मांग का प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
- इस शीर्ष की माँग सं0-27 एवं विपत्र कोड-एन-2014000030001 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

x
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-जी0/बी0टी0-30-20/2017.....86...../जे0, पटना, दिनांक 16/03/18...

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, उपकोषागार गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

x
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-३०-२०/२०१७.....४६...../जे०, पटना, दिनांक ..१६/०३/१८..

प्रतिलिपि:-प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

x सुप्रभा
१६/३/१८

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-जी०/बी०टी०-३०-२०/२०१७.....४६...../जे०, पटना, दिनांक ..१६/०३/१८..

प्रतिलिपि:-विभागीय आई०टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

x सुप्रभा
१६/३/१८

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सरकार के सचिव, बिहार

Vishn
१६/३/१८

परिचालन के माध्यम से प्राप्त सहमति से संबंधित प्रशासी पदवर्ग समिति की कार्यवाही
विधि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरांत समिति की सहमति प्राप्त की गई :-

1. श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव
2. श्री शिशिर सिन्हा, विकास आयुक्त
3. श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
4. श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव, वित्त विभाग

अध्यक्ष ।
सदस्य ।
सदस्य ।
सदस्य ।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विषय	अभ्युक्ति
1.	सं०सं०-P/यो० अकादमी पद सुजन-52/2012 ज्ञापक-1728, दि०-21/02/18	बिहार न्यायिक अकादमी, गायघाट, गुलजारबाग, पटना के विभिन्न पदाधिकारियों के उपयोग के लिए 08 (आठ) नई गाड़ियों के क्रय की स्वीकृति के संबंध में। उक्त संस्थान के 04 पुराने वाहनों के निष्प्रयोजन के विरुद्ध 08 नए वाहन क्रय का प्रस्ताव है।	निदेशक के लिए ₹11 लाख की अधिसीमा में 01 (एक) वाहन एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारियों/Faculties/Resource Person के लिए ₹09 लाख की अधिसीमा में 04 (चार) वाहन क्रय की स्वीकृति। शेष 03 वाहन राज्य क्रय संगठन (बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०) के माध्यम से आउटसोर्स की जाए।


(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग।


6.3.18
(आमिर सुबहानी)
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग


(शिशिर सिन्हा)
विकास आयुक्त

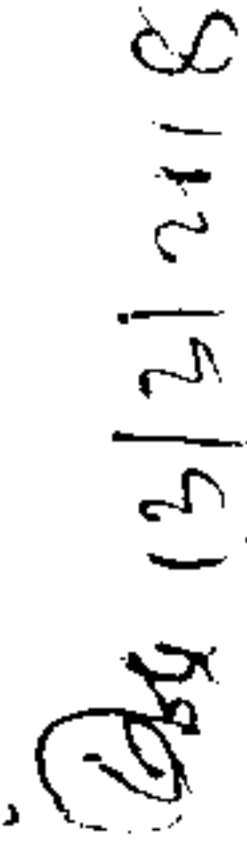

7/3/18
(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

बिहार सरकार
वित्त विभाग ।

ज्ञापक-3ए-8-बैठक-03/2014- 1867/वि०

प्रतिलिपि- सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 13/3/18


(सुरेन्द्र ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव,
वित्त विभाग।